**निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर**

प्रकरण संख्या : 26/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मदनलाल पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट निवासी करेडा खुर्द, तहसील चाकसू हाल निवासी वार्ड नम्बर 1 कस्बा चाकसू, जिला जयपुर ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री शिवचरण शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर ।
2. सीताराम पुत्र मोहरू
3. गोपाल पुत्र रामेश्वर
4. बाबूलाल पुत्र रामेश्वर
5. हजारी पुत्र रामेश्वर
6. मनोज देवी पुत्री रामेश्वर
7. श्रीमती बरजी देवी पत्नी रामेश्वर
8. चेतन पुत्र राजेश पौत्र रामेश्वर
9. दीपराज पुत्र राजेश पौत्र रामेश्वर
10. ग्यारसी देवी पत्नी राजेश

समस्त जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 2, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

11. रमेश पुत्र ताराचन्द
12. पारस मल पुत्र ताराचन्द
13. निहाल चन्द पुत्र ताराचन्द
14. मुकेश कुमार पुत्र ताराचन्द
15. निर्मला पुत्री ताराचन्द
16. रानी पुत्री ताराचन्द
17. ममता पुत्री ताराचन्द
18. अनिता पुत्री ताराचन्द
19. सिद्धकरण पुत्र रामगोपाल
20. नेमीचन्द पुत्र रामगोपाल
21. बाबूलाल पुत्र रामगोपाल
22. चांदमल पुत्र रामगोपाल
23. लल्ली देवी पुत्री रामगोपाल
24. संतोष देवी पुत्री रामगोपाल
25. मुन्ना देवी पुत्री रामगोपाल
26. कमला देवी पत्नी पदमचन्द
27. संतरा देवी पत्नी केवल चन्द

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति महाजन, निवासी वार्ड नम्बर 6 बजाजों का मोहल्ला, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर ।

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर ।

**अप्रार्थीगण**

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 214/2019 (पुराने 102/2011) ब उनवानी मदन लाल बनाम रामेश्वर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री शिशुपाल जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नाथूलाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांक 05.05.2025**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 214/2019 (पुराने 102/2011) ब उनवानी मदन लाल बनाम रामेश्वर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नाथू लाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार चाकसू द्वारा मनमाने तरीके से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 मौके पर गए बिना, ऑफिस में बैठ कर पटवारी हल्का से तैयार करवा कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से आदेश पारित करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को फायदा पहुँचाने की नियत से छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है तथा दिनांक 06.04.2024 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.06.2024 नियत की गई है तथा प्रार्थी द्वारा आदेशिका की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो संबंधित बाबू ने कहा कि फाईल साहब के चैम्बर में पड़ी हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 5 अप्रार्थी संख्या 1 के ऑफिस के अन्दर आधे धन्टे तक अन्य चार पांच लोगों के साथ बैठे हुये है तथा बाहर आ कर प्रार्थी को धमकी दी कि अभी हमारी सरकार है और हमने पीठासीन अधिकारी को सेट कर लिया है और हम जल्दी आदेश हमारे पक्ष में करवा कर आपके कब्जे व हिस्से की भूमि से आपको जबरन बेदखल कर देंगे। उक्त सम्पूर्ण घटना

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

से प्रार्थीगण को यह पूर्ण अन्देशा है कि अप्रार्थी 1 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रार्थी के विरूद्व अनुचित आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचा सकते है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है और प्रार्थी को खातेदारी की जमीन में से बेदखल कर कब्जा कर सकते है। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया । जब अप्रार्थी संख्या 5 व अन्य अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय ये न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 5 के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है, परन्तु प्रार्थी ने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः उक्त वाद को यदि अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपात्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 214/2019 (पुराने 102/2011) ब उनवानी मदनलाल बनाम रामेश्वर व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक **26.05.2025** को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

( डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी )
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner